संख्या-72/2026/894/001-5-9002-099-3-2025

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026

विषय:-एस0एन0ए0-स्पर्श व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम-अभीम) के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में निर्गत मदर सैंक्शन में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 13725.73 लाख एवं केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 9150.49 लाख कुल रू0 22876.22 लाख को अनुदान संख्या-35 के पूँजी लेखा मद में प्राविधानित धनराशि से अवमुक्त किये जाने की शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/PM-ABHIM/2026-27/2495, दिनांक 08.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी0एम0-अभीम) के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में निर्गत मदर-सैंक्शन में अनुदान संख्या-35 पूँजी लेखाशीर्षक-4211-परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 3991, 0103-प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना (के.60/रा.40-के.) 3991-यूपी 213, 24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 13725.73 लाख (रूपये एक अरब सैंतीस करोड पच्चीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष देय राज्यांश रू0 9150.49 लाख सहित कुल धनराशि रू0 22876.22 लाख (रूपये दो अरब अट्ठाईस करोड छिहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही भारत सरकार की प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

(6) प्रश्नगत प्रकरण में अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के लेखाशीर्षक के सम्बन्ध में एवं आकड़ों के आंकलन/शुद्धता से महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(8) महानिदेशक, परिवार कल्यण, उ0प्र0 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 के प्रस्तर-2 (10)(ख) में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(9) योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधो का अनुपालन किये जाने का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,28,76,22,000 (रुपये दो अरब अट्ठाईस करोड़ छिहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 4211008000103 प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (के.60 / रा.40- के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-41/दस-2026-27, दिनांक 29 जून, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

रवि रंजन
विशेष सचिव।

<u>संख्या-72/2026/894(1)/001-5-9002-099-3-2025, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तार प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्ततर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तशर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याएण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in